

राजस्व लोक अदालत कॅम्प कालेवा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) वालोतरा

पीठारसीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा नं० 163 / 2018

वादीनी :- 1 बाबुदान पुत्र मंगलदान जाति चारण निवासी क्यार चारणान
तह० पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :- 1. भीखदान पुत्र मंगलदान
2. राणीदान पुत्र मंगलदान चारणा निवासी क्यार चारणान तह० पचपदरा
जिला बाडमेर
3. तहसीलदार पचपदरा जरिये राज० सरकार

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक:-28.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत कालेवा में प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में जाहिर किया कि ग्राम क्यार चारणान के ख०न० 40, 42, 44,
8190, 91, 98, 107, 111, 112, 113, 114, 118 जुमले रकबा 294.01 में संयुक्त खातेदारी
की आयी हुई है। उक्त आराजी में वादी का नाम में मंगलदान पुत्र प्रतापदान की मृत्यु पर
नामान्तरणकरण संख्या 16,17 के अनुसार दर्ज हुआ। पटवारी हल्का द्वारा मंगलदान पुत्र
प्रतापदान के वारिसान भीखदान, राणीदान, बाबुदान की बजाय भीखदान, राणीदान,
वगतदान पिसरान मंगलदान लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज किया हुआ है जबकि सरकारी दस्तावेज
में वादी के सही नाम बाबुदान पुत्र मंगलदान है। अतः वगतदान पुत्र मंगलदान की जगह
बाबुदान पुत्र मंगलदान के नाम की खातेदारी घोषित करने निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमाबंदी
वादी के ब्यान सहखातेदार के ब्यान व पटवारी कालेवा/ आर.आई पाटोदी की संयुक्त
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम क्यार चारणान के ख०न० 40, 42, 44,
8190, 91, 98, 107, 111, 112, 113, 114, 118 जुमले रकबा 294.01 में वादी का नाम
वगतदान पुत्र मंगलदान राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में
बाबुदान पुत्र मंगलदान दर्ज है। अतः वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम क्यार चारणान के ख०न० 40, 42,
44, 8190, 91, 98, 107, 111, 112, 113, 114, 118 जुमले रकबा 294.01 में वगतदान
पुत्र मंगलदान की बजाय बाबुदान पुत्र मंगलदान के नाम की खातेदारी घोषित की जाती
है। तहसीलदार पचपदरा को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश जारी हो।

(भागीरथ राम)

पीठारसीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कॅम्प-2018

सप्लायर अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

वालोतरा कॅम्प